

शेरविले ५९ अगपविले
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक

06/8/24

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

वादी खर उरुके

जायिका उपाधित पये है।
कई कार खर-2 कर शिवाजे।
लगाई गई वादी की तरफ से कोई
उपाधित पये शिवा। अथवा शिवागत
की सुमापित पर है। 'प्रामतः वादी
की सुमापिति हज की जाकर
वादी का वादे शिवाप हाजरी एवं
शिवाप पैरके में खारिज किया
जाता है तदा सुमाप वादे मिगीते
हजार प्रजरो वादत प्रमीम अथ
उ विरुधे वालम काही आवे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०

